यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** के माह 04/2016 से माह 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.09.2017 से 25.09.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार **सन्हा**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2016 से 09.05.2016 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से माह 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	80.43	77.57	2.86	11016.93	10951.89	65.04
2016-17	Nil	Nil	99.00	93.34	5.66	18101.82	13766.71	4335.11
2017-18	Nil	Nil	105.68	53.87	51.81	3220.70	2614.89	605.81

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
अनु. जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	381.62	381.62	Nil	4595.42	1605.36
अन्य पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	668.02	668.02	Nil	525.09	12.39
इन्दिरा गांधी राष्टीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	Nil	758.39	758.39	Nil	1045.50	1045.50
इन्दिरा गांधी राष्टीय विकलांग पेंशन योजना	Nil	68.05	68.05	Nil	26.93	26.93
पारिवारिक लाभ योजना	Nil	228.80	228.80	Nil	286.80	286.80
अनु. जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	138.84	138.84	Nil	1937.96	1109.97

( ) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए **इकाई** ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण जिला⟶ समाज कल्याण अधिकारी

( )**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** (की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाए) का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाए) के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 1. अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत धनराशि रु0 306.51 लाख विगत 03 से अधिक वर्षो से अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखा जाना।

अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास की योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 13 फरवरी 2009 के प्रावधानों के अनुसार 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले ग्रामों में पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग आदि कार्यो का निर्माण किया जाता है। योजना का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम की वास्तविक आवश्यकता तथा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। चयनित योजना के आगणन खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाएगी। नियम 6(4) के अनुसार प्रतिवर्ष प्राप्त प्रस्तावों का निस्तारण उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करते हुए कर दिया जाएगा। नये वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावों को नये सिरे से प्राप्त किया जाएगा। नियम 7(5) के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उतनी ही धनराशि आहरित की जाएगी जितनी कार्यदायी संस्था को भुगतान की जानी हो। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जाएगी।

शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर 2016 के द्वारा योजनान्तर्ग वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि चूकि अवस्थापना मद में निर्माण कार्यो को उसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने का प्रावधान है जिस वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी हो। यदि निर्माण उस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ नहीं किया जा सका तो योजना/स्वीकृत धनराशि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अतः अवशेष धनराशि यथाशीघ्र राजकोष में जमा कर शासन को सूचित किया जाय।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार की अनुसूचित जाति उप योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2013–14 में 224 निर्माण कार्यो के लिए धनराशि रु0 2752.96 लाख निम्न विवरणानुसार स्वीकृत एवं अवमुक्त की गयी थी;

क.सं.	शासनादेश सं.	दिनांक	कार्यो की सं0	धनराशि (रु0 लाख में)
1	3435/स.क.–लेखा/बजट आवंटन/2013–14	13.12.2013	42	672.32
2	4354/स.क.–लेखा/बजट आवंटन/2013–14	06.02.2014	104	1077.33
3	4786/स.क.–लेखा/बजट आवंटन/2013–14	28.02.2014	10	216.95
4	4916/स.क.–लेखा/बजट आवंटन/2013–14	07.03.2014	04	122.58
5	4938/स.क.–लेखा/बजट आवंटन/2013–14	10.03.2014	43	415.25
6	4952/स.क.–लेखा/बजट आवंटन/2013–14	11.03.2014	21	248.53
	कुल योग		**224**	**2752.96**

सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि शासनादेश के उपरोक्त प्रावधानों का उलंघन करते हुए आवंटित सम्पूर्ण धनराशि कोषागार से आहरित कर जिला समाज कल्याण अधिकारी के पदनाम से

संचालित बैंक खाते में रखा गया। जॉच में यह भी पाया गया कि मार्च 2017 तक उपरोक्त निर्माण कार्यो के निर्माण पर रु0 2627.72 लाख की धनराशि विभिन्न कार्यदायी संस्था को चेक के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए व्यय किया गया था तथा रु0 183.19 लाख की धनराशि लेखापरीक्षा तिथि तक किसी भी कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नहीं किया गया था। सम्बन्धित लेजर के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि खण्ड विकास अधिकारी, भगवानपुर द्वारा मार्च एवं जून 2015 में कुल रु0 57.95 लाख की धनराशि जनपद कार्यालय को वापस की गयी थी। वापसी से सम्बन्धित पत्र एवं लेजर में पूर्ण विवरण अंकित न किये जाने से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह धनराशि निर्माण न किये जाने वाले कार्य से सम्बन्धित है अथवा कार्यो की अवशेष धनराशि है। इस प्रकार से वर्ष 2013–14 में स्वीकृत निर्माण कार्यो से सम्बन्धित धनराशि रु0 244.85 लाख कार्यालय के बैंक खाते में अनावश्यक रुप से विगत तीन वर्षो से भी अधिक समय से अवरुद्ध पडी है। निर्माण कार्यो के प्रगति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अद्यतन प्रगति विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका जिससे लेखापरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त स्वीकृत निर्माण कार्यो में से कितने कार्यो का निर्माण नहीं किया गया तथा कितने कार्य प्रथम किस्त निर्गत किये जाने के बाद से वर्तमान तक अधूरे पडे थे तथा उनसे सम्बन्धित द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के अतिरिक्त जॉच में यह भी पाया गया कि योजनान्तर्गत वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित निर्माण कार्यो की धनराशि रु0 61.66 लाख भी जनपद स्तर पर संचालित बैंक खाते में विगत 04 वर्षो से भी अधिक समय से अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी थी। जिसे वर्तमान तक शासन को समर्पित नहीं किया गया तथा शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर 2016 के द्वारा शासन से निर्देश कि अवशेष धनराशि यथाशीघ्र राजकोष में जमा कर शासन को सूचित करें, दिये जाने के उपरान्त भी समर्पित नहीं किया गया। इस प्रकार से उक्त दोनों वर्षो से सम्बन्धित धनराशि रु0 306.51 लाख (रु0 244.85 लाख एवं रु0 61.66 लाख) विगत तीन वर्षो से भी अधिक समय से कार्यालय स्तर पर अवरुद्ध पडी है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि भविष्य में निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि का ही आहरण किया जाएगा तथा धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अवशेष धनराशि किन कार्यो से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में अवगत कराया कि वर्तमान में प्रगति विवरण उपलब्ध न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त धनराशि किससे सम्बन्धित है। यथाशीघ्र अद्यतन प्रगति विवरण तैयार कर तथा कार्यो की स्थिति सुनिश्चित कर लेखापरीक्षा को जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति की जानकारी कार्यालय के पास उपलब्ध होनी चाहिए थी जिससे रु0 3.06 करोड की धनराशि के अनावश्यक अवरोधन से बचा जा सकता था।

अतः अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत धनराशि रु0 306.51 लाख विगत 03 से अधिक वर्षो से अनावश्यक रुप से अवरोधन सम्बन्धी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर : 2- भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थान के भिन्न भिन्न कोर्स में अधिक भुगतान के साथ अपात्र लाभार्थियो को 1.28 लाख का भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नाबिनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूचि में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलम्ब के लिए सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति की भुगतान किया जायेगा।|

1) कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की रूडकी इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी, रूडकी शिक्षण संस्थान के दो लाभार्थियो को बी. टेक कोर्स के लिए अलग अलग शिक्षण शुल्क प्रदान किया गया जो की निम्नरूप :

Name of the Student	Caste	Application No.	Course	Amount Admissible	Amount paid	Excess amount paid
Smriti Mogra	SC	3507036210	B. Tech/Civil	30750(50%)	30750	Nil
Anuj Chauhan	ST	3507036179	B. Tech/Civil	61500	73500	12000

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की शासनादेश सं 969 दिनांक 09-07-2010 के अनुसार भुगतान किया गया। इकाई के उत्तर मान्य नही है कारण शासनादेश में यह बताया गया था की निजी तकनीकी संस्थानों में छठे बेतन आयोग के अनुसार वेतनमान प्रदान किया जाये एवं Fresh/नये छात्र से अतिरिक्त धनराशि ₹ 12000=00 लिया जाये। अगर शासनादेश के अनुसार श्री अनुज चौहान से बर्धित छात्रवृत्ति लिया गया तो स्मृति मोगरा से किस कारण से नही लिया गया। अतः यह स्पष्ट होता है की इकाई द्वारा छठे वेतन आयोग के अनुसार भुगतान नही किया गया एवं यह अधिक भुगतान किया गया है।|

2) कार्यालय के अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की वर्ष 2015-16 के पंजीकृत छात्र को वर्ष 2016-17 में भुगतान के प्रक्रिया में सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भिन्न भिन्न दो शिक्षण संस्थान के 02 लाभार्थियो को अपात्र घोषित करने के उपरांत भी कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति कुल ₹ 116150=00 का भुगतान किया गया जो की निम्नबत है :-

छात्र का नाम	शिक्षण संस्थान	कोर्स	भुगतानित

			राशि
Sanjay Sarkar	Patanjali Bhartiya Ayurvigyan Evam Anusandhan Sansthan	Ayurvedic Medicine & Surgery	92500
Km Soniya	Phonics Group of Institutions	B. Ed	23650
		Total	**116150**

जाँच में यह देखा गया की श्री संजय सरकार को सत्यापन के दौरान सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनुत्त्रीन पाया गया था एवं कुमारी सोनिया को उनके शिक्षण संस्थान द्वारा भुगतानित न करने हेतु पत्र दिनांक 08-11-2016 के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी को अवगत कराया गया था।|

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की श्री संजय सरकार को भुगतान नही किया गया एवं पास बुक की प्रति संलग्न परन्तु इकाई द्वारा प्रस्तुत भुगतान सूचि अनुसार श्री संजय सरकार को भुगतान किया गया था एवं इकाई द्वारा कोई भी पास बुक की प्रति प्रदान नही किया गया। कुमारी सोनिया के सन्दर्भ में इकाई द्वारा बताया गया की वसूली की जा रही है।|

अतः भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थान के भिन्न भिन्न कोर्स में अधिक भुगतान के साथ अपात्र लाभार्थियो को रू. 1.28 लाख की भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है। |

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तरः3- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 2.10 लाख का व्यय किया जाना।

ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देश के नियम 7 के अनुसार वर्ष के दौरान कुल व्यय के तीन प्रतिशत तक प्रशासनिक मदों पर व्यय निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकता है। योजनान्तर्गत अन्य व्यय मदों में निम्न पर व्यय किया जाना अनुमन्य है; पेंशन कार्ड, आवेदन पत्र की छपाई एवं वितरण, विकलांग पेंशन लाभार्थी के प्रमाण पत्र के लिए कैम्प के आयोजन, सूचना, शिक्षा एवं प्रचार के लिए कार्य, नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास के कार्मिकों आदि के प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध सूचना तंत्र मदों पर व्यय आदि। इस मद में वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय, वाहन क्रय एवं मरम्मत, निर्माण कार्य आदि मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में किये व्यय सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई को वर्ष 2016–17 में रु0 5.00 लाख की धनराशि का आवंटन अन्य व्यय मद में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ था। आगे अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत गैर अनुमन्य मदों जैसे प्रिंटर क्रय, डाक टिकट, वाहन मरम्मत एवं डीजल क्रय आदि मदों पर व्यय किया गया था। उपरोक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार धनराशि रु0 2.10 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किया गया था। विवरण निम्नवत् है;

क्र.सं.	मद	क्रय/भुगतान का दिनांक	धनराशि
1	वाहन मरम्मत	13-06-2017	6086
2	डीजल क्रय	31-07-2017	11795
3	म्जदूरी	21-07-2017	1050
4	वाहन मरम्मत	17-07-2017	16061
5	डीजल क्रय	17-07-2017	12848
6	डाक टिकट	14-07-2017	20000
7	कम्प्यूटर एवं यू0पी0एस0 क्रय	29-06-2017	30100
8	सी0सी0टी0बी0, कैमरा मरम्मत आदि	27-06-2017	10000
9	डीजल क्रय	16-06-2017	29965
10	वाहन मरम्मत	16-06-2017	14040
11	आयकर के लिए	24-06-2017	2824
12	डीजल क्रय	19-05-2017	13409
13	आयकर के लिए	15-05-2017	12854
14	एच.पी. एम.एफ.पी. प्रिंटर	22-12-2016	28900
	कुल योग		**209932**

उपरोक्त विवरणानुसार इकाई द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर रु0 2.10 लाख का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि कार्यालय व्यय अन्य व्यय मद में बजट कम होने के कारण उक्त मदों में व्यय की गयी। उक्त व्यय कार्यालय संचालन के लिए आवश्यक मदों पर ही व्यय किया गया है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कि योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि से अनुमन्य मदों पर ही व्यय किया जाना चाहिए था।

अतः राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 2. 10 लाख का व्यय किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर : 4- प्राइवेट आई. टी. आई की फैशन डिजाईन कोर्स एवं हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स में ₹ 21.58 लाख का अनियमित भुगतान। |

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नाबिनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूचि में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलम्ब के लिए सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति की भुगतान किया जायेगा।

1) कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की Shakumbhari Institute of Higher Education & Technology, Roorkee शिक्षण संस्थान को Fashion Design कोर्स हेतु मान्यता AICTE से दिनांक 07-04-2015 को प्राप्त हुआ था पर सम्बंधित कोर्स हेतु शिक्षण शुल्क की मान्यता न तो उत्तराखण्ड शासन से न ही शुल्क ढांचा समिति से अनुमोदित है।कार्यालय द्वारा प्रस्तुत भुगतान सूचि अनुसार वर्ष 2015-16 में उपरोक्त शिक्षण संस्थान के Fashion Design कोर्स हेतु 22 लाभार्थियो को कुल धनराशि ₹ 301800=00 का भुगतान वर्ष 2016-17 में किया गया था।

2) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश दिनांक 12/2014 के अनुसार Rural Area के Private ITI शिक्षण संस्थान में Non-Engineering Trades के लिए शिक्षण शुल्क ₹ 12000=00 के दर से भुगतान किया जायेगा साथ ही Maintenance Allowance के रूप में Day scholar को ₹ 230=00 प्रतिमाह एवं Hosteller को ₹ 380=00 प्रतिमाह के दर से भुगतान किया जायेगा। इस हिसाब से Day scholar को एक वर्ष में (230 x 10) + 12000 = ₹ 14300 का भुगतान होना था एवं 50% भुगतान के अनुसार ₹ 7150=00 की धनराशि प्रति छात्र को होना चाहिए।

कार्यालय के अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति से सम्बंधित Private ITI शिक्षण संस्थान के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की शिक्षण संस्थान को वर्ष 2015-16 की भुगतान वर्ष 2016-17 में 50 प्रतिशत के अनुसार किया गया था जिसमे भारत सरकार के दिशानिर्देश अनुसार प्रति छात्र ₹ 7150=00 की धनराशि भुगतान करनी थी पर जाँच में अधिक भुगतान की प्रकरण पाया गया जो की निम्नरूप है :-

Sl. No	Institute Name	No. of student	Actual Amount	Amount disbursed	Excess Amount
1	Jai Bharat Private ITI	53	378950	509850	130900
2	Subharti Private ITI	50	357500	485435	127935
3	Yesh Paramedical ITI	136	972400	1463550	491150
4	Om Santosh	283	2023450	3090685	1067235

	Paramedical ITI				
5	Maharishi Dayanand Private ITI	16	114400	153775	39375
				Total	**1856595**

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर फैशन डिजाईन कोर्स हेतु कार्यालय के तरफ से बताया गया की शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ढाचा के अनुसार सबसे कम शुल्क का भुगतान किया गया है अर्थात 28 अप्रैल 2010 के शासनादेश, जिसमे बी. एस. नेगी महिला प्रबिधिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून में संचालित फैशन डिजाईन कोर्स हेतु शिक्षण शुल्क ₹ 22,300=00 के अनुसार भुगतान किया गया पर शासनादेश में Shakumbhari Institute of Higher Education & Technology, Roorkee शिक्षण संस्थान का उल्लेख दर्शाया नही गया।

हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स हेतु कार्यालय को पूछे जाने पर आपत्ति पर सहमत प्रदान करते हुए बताया गया की अधिक छात्रवृत्ति की वसूली हेतु कार्यवाही गतिमान है।

अतः उपरोक्त दोनों प्रकरण में प्राइवेट आई. टी. आई की फैशन डिजाईन कोर्स एवं हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स में कार्यालय द्वारा ₹ 21.58 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः5- पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत रु0 3.80 लाख का दोहरा भुगतान, अपात्र लाभार्थियों को रु0 1.20 लाख का भुगतान तथा एक ही बैंक खाते में एक से अधिक लाभार्थियों को रु0 1.20 लाख भुगतान किया जाना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी दिशानिर्देश के अनुसार पारिवारिक लाभ केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत जनपद के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाउॅ व्यक्ति (महिला या पुरुष) की मृत्यु होने पर जिसकी आयु मृत्यु के समय 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो को एकमुश्त सहायता राशि रु0 20,000 दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को बी0 पी0 एल0 अथवा अधिकतम वार्षिक आय रु0 12000 होना चाहिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पारिवारिक लाभ योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत रु0 286.80 लाख का आवंटन प्रदान किया गया था। जिसके सापेक्ष धनराशि रु0 270.40 लाख का व्यय करते हुए 1352 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया था। कार्यालय द्वारा आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर संचालित बैंक खाते में रखा गया था, तद्उपरान्त लाभार्थी को NEFT के माध्यम से बैंक खातों में भुगतान किया गया था। लाभार्थियों की स्वीकृति तथा भुगतान सूची से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कुल 30 लाभार्थियों को एक से अधिक बार अर्थात दोहरा भुगतान किया गया था, जिनमें से एक लाभार्थी गीता को तीन बार भुगतान किया गया है। इन दोहरे भुगतान के प्रकरणों में 12 लाभार्थियों से इकाई द्वारा धनराशि वापस प्राप्त की जा चुकी थी। इस प्रकार से इकाई द्वारा कुल 18 लाभार्थियों को दोहरा भुगतान के रुप में धनराशि **रु0 3.80 लाख** का अधिक भुगतान किया गया था। आगे जॉच में यह भी पाया गया कि मृत्यु के समय 60 वर्ष की आयु पूर्ण चुके तथा उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया था जो कि भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त दिशानिर्देश के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार से इकाई द्वारा कुल 06 अपात्र लाभार्थियों को धनराशि **रु0 1.20 लाख** का अदेय भुगतान प्रदान किया गया था। भुगतान सूची की जॉच में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा एक ही बैंक खाते में दो अलग अलग लाभार्थियों से सम्बन्धित धनराशि प्रेषित की गयी है जबकि बैंक का नाम, आई एफ सी कोड, खाता संख्या एक ही था। इन लाभार्थियों को एक ही बैंक खाते के माध्यम से किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। इस प्रकार से इकाई द्वारा 06 अपात्र लाभार्थियों को धनराशि **रु0 1.20 लाख** का किया गया भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवरणानुसार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिए अपात्र लाभार्थियों, दोहरा भुगतान तथा एक बैंक खाते में एक से अधिक लाभार्थियों को भुगतान के रुप में कुल **रु0 6.20 लाख** (रु0 3.80 लाख + रु0 1.20 लाख + रु0 1.20 लाख) की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया था। इतने अधिक संख्या में अपात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने अथवा दोहरा भुगतान किये जाने से प्रतीत होता है कि इकाई द्वारा केन्द्रीय योजनाओं के संचालन के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाता है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि दोहरा भुगतान एवं एक ही बैंक खाते में एक से अधिक लाभार्थियों को भुगतान प्रदान किये गये लाभार्थियों से धनराशि वसूली की कार्यवाही गतिमान है, अपात्र लाभार्थियों को भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही गतिमान है।

अतः पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत रु0 3.80 लाख का दोहरा भुगतान, अपात्र लाभार्थियों को रु0 1.20 लाख का भुगतान तथा एक ही बैंक खाते में एक से अधिक लाभार्थियों को रु0 1.20 लाख भुगतान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः6- मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत धनराशि रु0 98.22 लाख से निर्मित होने वाली दाबकी कला में बारात घर का निर्माण पूर्ण न किया जाना।

शासनादेश संख्याः 637/XVII-4/2015-19(03)/2014 दिनांक 30 मार्च 2015 के माध्यम से मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–132/2014 के द्वारा दाबकी कला में बारात घर का निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम देहरादून द्वारा गठित आगणन रु0 98.22 लाख पर तकनीकी परीक्षणोपरान्त प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए धनराशि आवंटित की गयी। शासनादेश में निम्नलिखित निर्देशित किया गया;

1. योजना पर धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी समुचित परीक्षणोपरान्त यह प्रमाणित करेंगे कि उक्त योजना अनुसूचित जाति बस्ती/मजरे से सम्बन्धित है तथा योजना में अनुसूचित जाति के समूह लाभान्वित हो रहे हों।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को अधिकतम वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा कार्यदायी संस्था से अनुबन्ध अवश्य हस्ताक्षरित किया जाएगा।
4. कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य को समयवद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के बारात घर के निर्माण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि निर्माण से सम्बन्धित धनराशि का कोषागार से आहरण कर बैंक खाते में रखा गया तथा कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई पेयजल निगम, ऋषिकेश को कार्यादेश दिनांक 23.11.2015 को जारी करने के साथ निर्माण कार्य की प्रथम किस्त की धनराशि रु0 49.11 लाख उपलब्ध करा दिया गया। कार्यादेश में यह प्रावधानित किया गया कि कार्य की मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण देना अनिवार्य है। निर्माणाधीन कार्य इसी वित्तीय वर्ष अर्थात 2015–16 में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। आगे अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि प्रथम किस्त की धनराशि के व्यय को सुनिश्चित किये बिना द्वितीय किस्त अर्थात योजना की सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि रु0 49.11 लाख दिनांक 18.01.2016 को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया।

ग्राम प्रधान दाबकी कला ने अपने पत्र दिनांक 19.05.2017 के माध्यम से बारातघर निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 10.04.2017 को संलग्न कर यह अनुरोध किया कि ग्राम पंचायत दाबकी कला में ग्राम गंगनौली में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है जो गॉव की मूल आबादी में

है जिसका ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव करा दिया गया है। अतः उपरोक्त बारातघर को ग्राम सभा की भूमि पर शीघ्र बनवाने की कृपा करें ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त इकाई ने तहसीलदार, लक्सर को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 01.04.2017 के माध्यम से अनुरोध किया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के सापेक्ष निःशुल्क भूमि समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड के नाम करते हुए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सहित भूमि के प्रपत्र उपलब्ध करावे ताकि बारातघर का निर्माण पूर्ण किया जा सके। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बारातघर निर्माण के लिए 02 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी वर्तमान तक भूमि विभाग के नाम से पंजीकृत नहीं हो सका था तथा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था। जॉच में यह भी पाया गया कि निर्माण कार्य के सम्पादन के लिए अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में कोई अनुबन्ध गठित नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत निर्माण कार्यो को समय से पूर्ण करने के प्रति इकाई द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में प्रस्तुत भूमि का प्रस्ताव निर्माण के समय विवादित होने पर स्थल चयन में विलम्ब हुआ। वर्तमान में भूमि विवाद समाप्त हो चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। यह भी अवगत कराया कि भविष्य में प्रत्येक माह प्रगति विवरण प्राप्त की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा धनराशि निर्गत होने के एक वर्ष पूर्व किया जा चुका था तथा इकाई को उक्त अवधि में निर्विवाद भूमि का चयन कर लिया जाना चाहिए था तथा कार्यदायी संस्था के साथ अनुबन्ध अवश्य गठित किया जाना चाहिए था।

अतः मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत धनराशि रु0 98.22 लाख से निर्मित होने वाली दाबकी कला में बारात घर का निर्माण पूर्ण न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-7- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण धनरा श रू. 0.91 लाख का अ धक भुगतान।

कार्यालय, जिला समाज कल्याण अ धकारी, हरिद्वार के कार्यरत कर्मचारियों के वेतन बिल पंजिका के लेखा भलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया क श्री मुनीष कुमार त्यागी (स.स.क.अ ध.) का DNI जुलाई था, तथा उनको 26.09.2011 में एक अतिरिक्त वेतन वृद् ध पत्रांक निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के आदेश संख्या 2104 दिनांक 22.09.2011 के द्वारा दिया गया, परन्तु शासनादेश में कोई वत्तीय लाभ/वेतन वृद् ध के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था, अतः माह 01/2012 से 12/2016 तक एक अतिरिक्त वेतन वृद् ध के कारण उनको धनरा श रू. 83424 (ववरण संलग्नक) अ धक वेतन का भुगतान कया गया।

श्री दिनेश कुमार (क.सहायक) का DNI (Date of next increment) जुलाई था, परन्तु उनको जुलाई 2016 में increment देने के पश्चात जनवरी 2017 में भी वेतन वृद् ध दी गई, जिससे माह 01/2017 से लेकर 08/2017 तक धनरा श रू. 7624 अ धक वेतन के रूप में भुगतान कया गया।

इकाई द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया क प्रकरण की पुनः जांच कर तद्नुसार वेतन निर्धारण कर अ धक भुगतान की गई धनरा श की वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, अतः धनरा श रू. 91048 (0.91 लाख) के अ धक वेतन आहरण का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर : 8- विगत साढ़े तीन माह में कोषागार से ₹ 801.93 लाख के आहरण के उपरांत भी कार्यालय द्वारा रोकड़ बही न बनाये जाना।

कोषागार के माध्यम से समस्त शासकीय भुगतान सीधे संबंधितों के बैंक खातें में अंतरण कर इ-पेमेंट प्रणाली को लागू किये जाने से सम्बंधित उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के दिशानिर्देश दिनांक 01/2013 के बिंदु सं 4.9 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से ekosh.uk.gov.in पर अपने Login ID से अपने देयको की धनराशि संबंधितों के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित विवरण 11-सी पंजिका, कैश बुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थल पर करेंगे।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया की माह 01 अप्रैल 2016 से माह 21 जुलाई 2016 तक की कोषागार से कुल 8,01,93,301=00 की धनराशि आहरण किया गया पर इस दौरान इकाई के तरफ से कोई भी रोकड़ बही न बनाया गया और न ही इसमें इन्द्राज किया गया। विवरण निम्नरूप है :-

क्रम सं	**माह**	**आहरित धनराशि**
1	अप्रैल 2016	3609304
2	मई 2016	1090453
3	जून 2016	2903329
4	20 जुलाई 2016 तक	72590215
	कुल योग	**80193301**

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति पर सहमत प्रदान करते हुए बताया गया की उन तीन माहो में केवल वेतन बिल का आहरण किया गया जो की रोकड़ बही में इन्द्राज करने का प्रचलन नही है पर भविष्य में अनुपालन किया जायेगा।

अतः विगत साढ़े तीन माह में कोषागार से ₹ 801.93 लाख के आहरण के उपरांत भी कार्यालय द्वारा रोकड़ बही न बनाये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर :9- दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में विभाग की शिथिलता के कारण वर्ष 2016-17 में ₹ 4330.75 लाख की धनराशि का समर्पण एवं 22647 लाभार्थी वंचित। ।

भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओ को दशोमोत्तर छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भुगतान उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार दिनांक नवम्बर 2014 से प्रारम्भ किया गया था।

शासन द्वारा भारत सरकार से आवंटित छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित किया जाता है ततपश्चात् निदेशालय द्वारा जनपद के मांग के अनुसार धनराशि जनपद स्तर में आवंटित किया जाता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया जो की निम्नवत है :-

मद	2016-17 में कुल बकाया प्राप्त धनराशि	बिगत दो वर्षो के लिए व्यय	समर्पण
अनु: जाति	4595.42	1605.36	2990.06
अन्य पिछड़ा वर्ग	525.09	12.39	512.70
अनु: जनजाति	1937.96	1109.97	827.99
योग	**7058.47**	**2727.72**	**4330.75**

निदेशालय द्वारा वर्ष 2016-17 के 10/2016 में जनपद को विगत वर्षो के बजट आवंटन के समय यह निर्देश दिया गया था की विगत दोनों वर्षो के अनुसूचित जाति दशोमोत्तर छात्रवृत्ति आबंटन के 50 % का भुगतान किया जाये 50 प्रतिशत भुगतान के उपरांत माह मार्च में सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण पोर्टल बंद हो गया एवं इस सिद्धांत के फलस्वरूप धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद ₹ 4330.75 लाख का समर्पण करना पढ़ा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवेदन के सापेक्ष भुगतान सुचना निम्नबत :-

मद	2016-17 में आवेदन प्राप्त	भुगतानित लाभार्थी सं	वंचित लाभार्थी सं
अनु: जाति	23976(17002+6974)	9965	14011
अन्य पिछड़ा वर्ग	8675	775	7900
अनु: जनजाति	2587	1851	736
		योग	**22647**

अर्थात, वर्ष 2016-17 में विगत दो वर्षो की अवितरित धनराशि ₹ 4330.75 लाख का समर्पण साथ ही उस वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष 22647 लाभार्थी को बंचित रहना पढ़ा। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई

द्वारा बताया गया की माह मार्च में पोर्टल न खुलने के कारण समर्पण करना पढ़ा उत्तर मान्य नही है कारण जाँच में यह देखा गया की कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार द्वारा दिनांक 26-03-2017 को अनुसूचित जनजाति मद में धनराशि ₹ 1,30,78,400=00 के छात्रवृत्ति एवं दिनांक 31-03-2017 को अन्य पिछड़ा वर्ग मद में धनराशि ₹ 1,40,800=00 का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया गया था |अतः यह प्रकरण से स्पष्ट होता है की माह मार्च के अंतिम तिथि तक पोर्टल का कार्य चालू था पर कार्यालय के उदासीनता के कारण वर्ष 2016-17 में 22647 लाभार्थियो को भुगतान नही किया जा सका |

अतः वर्ष 2016-17 के दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में अवितरित धनराशि ₹ 4330.75 लाख का समर्पण साथ ही 22647 लाभार्थी को बंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग दो (ब)

प्रस्तरः10- वृद्धावस्था पेंशन में 20 अपात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत किया जाना।

शासनादेश दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निहित होगा तथा शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार उपजिलाधिकारी में निहित होगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वृद्धाओं के अपने भरण पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी/तहसीलदार को देना होगा जिसमें आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर आदिक की जॉच के उपरान्त पेंशन स्वीकृत की जाती है। योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन अनुदान का भुगतान जनवरी 2014 से पूर्व रु0 400 प्रतिमाह की दर से की जाती थी, जनवरी 2014 से रु0 800 प्रतिमाह की दर तथा जून 2016 से रु0 1000 की दर से भुगतान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन नियमावली 1981 के बिन्दु नियम 30 के अनुसार समस्त पेंशनरों की छमाही जॉच कि पेंशनर जिवित है और वर्तमान में भी निराश्रित है कराया जाएगा। यह सत्यापन वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद मास अप्रैल एवं पुनः अक्टूबर माह में की जाएगी जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर की 15 तारीख तक भेजी जाएगी।

वृद्धावस्था पेंशन के विस्तार एवं प्रकिया का सरलीकरण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1547/36–चार 1990 दिनांक 30 मार्च 1990 के बिन्दु 2 के अनुसार ऐसे मामले जहॉ पति/पत्नी दोना पेंशन के लिए पात्र है वहॉ नये प्रकरणों में पति–पत्नी में से केवल एक को ही वृद्धावस्था पेंशन अनुमन्य की जाएगी और ऐसे मामलों में महिला सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान समय में जिन प्रकरणों में पति–पत्नी दोनों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही हो उनमें दोनों को मिल रही पेंशन यथावत रखी जाय।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के वृद्धावस्था पेंशन से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 में किये गये सत्यापन के उपरान्त प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट की जॉच में पाया गया कि लाभार्थी के मृत्यु की स्थिति में मृत्यु का दिनांक अंकित नहीं किया जाता जिससे लाभार्थी को मृत्यु के उपरान्त किये गये अदेय पेंशन भुगतान के राशि की गणना नहीं किया जा सका। जॉच में यह भी पाया गया कि 04 लाभार्थियों को आयु कम होने पर भी कार्यालय द्वारा पेंशन स्वीकृत की गयी है तथा उनको लगातार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। शासनादेश के उपरोक्त प्रावधान कि पति–पत्नी में से केवल एक को ही पेंशन स्वीकृत की जा सकती है का उलंघन कर 16 लाभार्थियों का पेंशन स्वीकृत किया गया है तथा उनको लगातार पेंशन का भुगतान प्रदान किया जा रहा था। आनलाईन पोर्टल नहीं खुलने के कारण इनके पेंशन स्वीकृति के दिनांक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी जिससे इन लाभार्थियों को वर्तमान तक भुगतान की गयी अदेय पेंशन की गणना नहीं की जा सकी (विवरण संलग्न)।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि आवेदन पत्र में उम्र 60 वर्ष से अधिक अंकित होने के उपरान्त ही पेंशन स्वीकृत की गयी थी किन्तु भौतिक सत्यापन में कम

उम्र पाये जाने के पश्चात उनकी पेंशन बन्द्र कर दी गयी है तथा उनके अद्यतन की धनराशि की वसूली हेतु कार्यवाही गतिमान है। स्वीकृत पति पत्नी की पेंशन में से एक की पेंशन काट दी गयी है तथा भविष्य में केवल एक को ही पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

अतः बृद्धावस्था पेंशन में 20 अपात्र लाभार्थियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तरः11- कार्यालय द्वारा बैंक खातों में रु0 1568..59 लाख की धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखा जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या; 875(1)/वित्त अनुभाग–3/ 2003–04 दिनांक 30 अप्रैल 2003 एवं पत्र संख्याः 99/xxvii(14)/2009 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी विभागों के कार्यो हेतु बैंक में खाता खोलने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि शासन के वित्त विभाग द्वारा विशेष कार्य/अवधि हेतु अनुमति प्राप्त न की गयी हो। यदि कोई अनाधिकृत बैंक खाता खोला गया हो तो उसे तत्काल बन्द कर दिया जाय एवं खाते में अवशेष धनराशि विभागीय पी एल ए में रखी जाय तथा उस पर अर्जित ब्याज सुसंगत लेखा शीर्षक 0049 में तत्काल जमा कर दिया जाय। यह भी वर्णित है कि जब किसी कार्य के लिए तत्काल धन की आवश्यकता हो तभी कोषागार से आहरित किया जाय।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार की रोकड बही एवं सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 07 बैंक खातों का संचालन अनाधिकृत रुप से किया जा रहा है, जिसके संचालन के लिए उपरोक्त प्रावधानानुसार शासन के वित्त विभाग से कोई अनुमति नहीं प्राप्त की गयी है। योजनाओं के अन्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर से आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर इन बैंक खातों में रखा जाता है। आगे जॉच में पाया गया कि अधिकतर सभी योजनाओं में आवंटित धनराशि को प्रगति प्रतिवेदनों में सत्प्रतिशत व्यय दर्शाया गया जबकि विगत दो वर्षो में बैंक से प्राप्त किये गये विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्त में निम्नानुसार धनराशि पडी हुई थी :

(धनराशि ` लाख में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	03/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि	08/2017 के अन्त में अवशेष धनराशि
1	HDFC Bank	50200006631191	560.84	189.79
2	State Bank of India	30670139752	41.50	31.87
3	PNB	1333002100003240	836.10	96.13
4	YES Bank	061088700000050	185.27	110.84
5	Allahabad Bank	50134329882	291.17	258.38
6	PNB	6021000100033905	231.93	294.34
7	AXIS Bank	358010100062727	1214.46	577.24
	कुल योग			**1658.59**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा तिथि माह 08/2017 के अन्त में भी उक्त सभी बैंक खातों में रु0 1658..59 लाख की धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध पडी है। यह भी पाया गया कि इन बैंक खातों से किये जा रहे लेन–देनों के लिए अलग से रोकड बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा है तथा वित्तीय

वर्ष के अन्त में बैंक खाते में शेष धनराशि का योजनावार शेष का विवरण नहीं बनाया जाता है। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि बैंक में जमा धनराशि किस योजना की कितनी धनराशि है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन बैंक खातों के सम्बन्ध में बैंक समाधान विवरण भी नहीं बनाया जाता। यह भी पाया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित एवं कोषागार से आहरित सम्पूर्ण धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन/निदेशालय को शतप्रतिशत् धनराशि के व्यय किये जाने का उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा रहा था जबकि बैंक विवरणी के अनुसार उक्त योजनाओं में वर्ष के अन्त में धनराशि शेष पडी हुई थी। इससे स्पष्ट होता है कि शासन को मिथ्यापूर्ण प्रतिवेदन प्रेषित किये गये थे।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि विगत वर्षो में 11 बैंक खातों का संचालन बन्द किया गया है तथा शेष बैंक खातों में से भी कुछ खाते यथाशीघ्र बन्द कर दिये जाएगें तथा अवशेष धनराशि यथाशीघ्र शासन को समर्पित कर दी जाएगी।
अतः कार्यालय द्वारा बैंक खातों में रु0 1658..59 लाख की धनराशि अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -1- शासनादेश का उल्लंघन कर बैंक में माध्यम से ₹ 490.20 लाख छात्रवृत्ति हेतु भुगतान।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की भुगतान से सम्बंधित शासनादेश दिनांक नवम्बर 2014 के बिंदु सं 14 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बंधित संस्थान द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रो को स्वीकृत करने के उपरांत ई-बिल तथा पत्र छात्र के नाम एवं सी. बी. एस खातों का विवरण सहित वरिष्ट कोषाधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे सम्बंधित वरिष्ट कोषाधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क का भुगतान सीधे सम्बंधित छात्र के सी. बी. एस खाते में सुनिस्चित किया जायेगा साथ ही बिंदु सं 15 में बताया गया है की भारत सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति एवं शुल्क आदि की धनराशि को सीधे छात्रों के व्यक्तिगत खातें में भुगतान सुनिस्चित किया जाये।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार के दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की वर्ष 2016-17 में विगत वर्ष 2015-16 के बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान कोषागार के माध्यम से न करा कर कार्यालय द्वारा संचालित इलाहाबाद बैंक खाता के द्वारा NEFT के माध्यम से किया गया है जो की निम्नवत है :-

Sl. No	Letter No. & Date to Bank	Amount
1	1884, 02/09/2016	1850000
2	1836, 31/08/2016	31798170
3	1818, 29/08/2016	9067709
4	1838, 31/08/2016	6304600
	Total	**49020479**

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति पर सहमत प्रदान करते हुए बताया गया की भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नही होगी।

अतः शासनादेश का उल्लंघन कर बैंक में माध्यम से ₹ 490.20 लाख छात्रवृत्ति हेतु भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ	भाग–दो ब	**STAN**

		प्रस्तर सं0	प्रस्तर सं0	प्रस्तर सं0
18	2010-11	06	02	--
27	2011-12	01	02	--
62	2012-13	शून्य	03	01
25	2014-15	शून्य	02	02
36	2016-17	शून्य	09	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
बकाया प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

( )

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

( )

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री दीपराज अग्निहोत्री	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा L-216 द्वतीय तल महालेखाकार भवन निकट होटल मैनेजमेंट इन्स्टीटयूट, कौलागढ़ देहरादून को प्रेषत कर दी जाय।**

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र